"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त 2014—भाद्र 4, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, जो 5 जुलाई 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में,-

1. नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ख) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के मामले में संविदा वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा:-

(एक) मूल संविदा वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति तिथि पर अनुज्ञेय मूल वेतन में से सेवानिवृत्ति पर निर्धारित मूल पेंशन (संराशीकृत अंश को शामिल करते हुए) को घटाकर किया जाएगा;

(दो) उसे, इस प्रकार से निर्धारित मूल संविदा वेतन पर, राज्य शासन के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय दर से महंगाई भत्ते की पात्रता होगी;

(तीन) उसे, ऐसे विशेष वेतन/भत्ते, जो उसके सेवानिवृत्ति के समय धारित पद पर अनुज्ञेय थे और संविदा नियुक्ति के पद के साथ भी संलग्न हैं, की उस दर से पात्रता होगी जो वह सेवानिवृत्ति के समय आहरित कर रहा था तथा इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हो रहे मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत के लिये भी पृथक से हकदार होगा."

2. एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 5 जुलाई 2014 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ 9-1/2012/1/3 के माध्यम से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में किया गया संशोधन, 5 जुलाई 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3, दिनांक 23 अगस्त, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 23rd August 2014

NOTIFICATION

No. F 9-1/2012/1/3 — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012, which shall be deemed to have come into effect from 5th July, 2014, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (b) of sub-rule (2) of rule 12, the following shall be substituted, namely :-

"(b) In case of contract appointment of a retired Government servant contract pay shall be fixed as under-

(i) basic contract pay shall be determined by deducting the basic pension (including commuted portion) fixed on retirement from the basic pay admissible on the date of retirement;

(ii) he shall be entitled for dearness allowance on basic contract pay so fixed, at the rate admissible to State Government employees from time to time;

(iii) he shall be entitled for such special pay/allowances which were admissible on the post he was holding at the time of retirement and are also attached to the post of contract appointment at such rate on which he was drawing at the time of retirement and apart from this he shall be entitled for house rent allowance (if do not possess Government accommodation) and city compensatory allowance on the basic pay as getting at the time of retirement and shall also be entitled for pension and dearness relief on pension separately."

2. It is hereby made clear that, the amendment made in the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012 vide Notification No. F 9-1/2012/1/3, published in the Chhattisgarh Gazette (extra-ordinary) dated 5th July, 2014, shall be deemed to have come into force with effect from 5th July, 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.